

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-90 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-451 / दस-2010-231 / 2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-90 के लेखाशीर्षक-2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-101-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-03-मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 15,81,97,000/- (₹0 पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख सत्तानवे हजार मात्र) तथा दिनांक 01 जनवरी, 06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु लेखाशीर्षक-2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-101-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-05-अवशेषों का भुगतान-01-वेतन हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 2,49,07,000/- (दो करोड़ उन्चास लाख सात हजार मात्र) कुल धनराशि ₹0 18,31,04,000/- (₹0 अट्ठारह करोड़ इकत्तीस लाख चार हजार मात्र) को संलग्नक के अनुसार लेखा शीर्षकवार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि जिन मदों के व्यय के संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक हो, उस पर यथासमय शासन की सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाए तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर व्यय हेतु नहीं किया जाय।

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप देय अवशेष 40 प्रतिशत का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के माह अक्टूबर, 2010 के पूर्व नहीं किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

5- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26-03-2010 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आपके निवर्तन पर रखी धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(अमर सेन सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-528(1)/11-क०नि०-6/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
- 6- बजट सहायक/गार्डफाइल।

आज्ञा से
(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 528/11-क0नि0-6-10-एम(156)/09, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 का संलग्नक
अनुदान संख्या-90

राजस्व लेखाशीर्षक-2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-
101-ग्रहण-प्रभार-मनोरंजन कर-03-मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान

मानक मद की संख्या व नाम	धनराशि (हजार रु0 में)	
	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए स्वीकृत धनराशि
01-वेतन		
03-महगाई भत्ता	103670	103670
04-यात्रा व्यय	34211	34211
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1920	1920
06-अन्य भत्ता	500	500
07-मानदेय	10528	10528
08-कार्यालय व्यय	50	50
09-विद्युत देय	600	600
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	150
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	600	600
13-टेलीफोन पर व्यय	510	510
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्य	350	350
15-गाड़ियों का अनुस्क्षण और पेटोल आदि की खरीद	948	948
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1500	1500
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	200	200
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता	75	75
23-गुप्त सेवा व्यय	-	-
42-अन्य व्यय	10	10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्य	100	100
47-कम्प्यूटर अनुस्क्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्य	560	560
49-विकित्सा व्यय	300	300
50-महगाई वेतन	1200	1200
51-वदी व्यय	-	-
योग-	65	65
लेखाशीर्षक-2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क- (क्रमशः) आयोजनेत्तर-101-ग्रहण-प्रभार-मनोरंजन कर-05-अवशेषों का भुगतान-01-वेतन	158197	158197
कुल योग-	24907	24907
	183104 (रूपये अठ्ठारह करोड़ इक्कीस लाख चार हजार मात्र)	183104 (रूपये अठ्ठारह करोड़ इक्कीस लाख चार हजार मात्र)

(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव।